न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 37/2019 निर्णय दिनांक :– 11-9-19

उनवान

श्रीमती गुलाब देवी व अन्य बनाम रामप्रसाद चौधरी व अन्य

दावा घोषणा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 व आदेश 7 नियम 10

सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

उनवानी प्रकरण मे प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में वर्णित विवादग्रस्त सम्पत्ति को लेकर एक दावा न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड क्रम–33, सांगानेर जयपुर महानगर, जयपुर दीवानी वाद संख्या 361/2016 विचाराधीन है। उपरोक्त वाद पत्र वादीया ने उक्त दावे में वर्णित समस्त अभिवचनो व सहायताओ के संदर्भ में श्रीमान सिविल न्यायाधीश के समक्ष अपना काउन्टर क्लेम दायर किया हुआ है जो श्रीमान न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उन्ही तथ्यो के आधार पर उक्त वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है जिस पर सुनवाई करने हेतु श्रीमान न्यायालय को धारा 10 सी0पी0सी0 के प्रावधान प्रतिबन्धित करते है। वादीया ने उक्त वाद पत्र अपने खातेदारी अधिकारो के संबंध में सहायता प्राप्त करने हेतु दायर किया हुआ है जबकि वादीया व उसके पति स्वर्गीय श्री हरिनारायण बैरवा ने अपने खातेदारी अधिकारो को प्रतिवादी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:00:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

समिति बाबा आर.एन. गौड गृह निर्माण सहकारी समिति के संदर्भ में विकय इकरारनामा दिनांक 05.02.1995 का तहरीर तकमील कर अपने समस्त खातेदारी अधिकारों को सोसायटी के हक में त्याग चुका है। उक्त इकरारनामा निष्पादित होने के पश्चात प्रतिवादी की सोसायटी ने वादीया के पति की स्वामित्व की कृषि भूमियो पर आवासीय योजना श्याम एनक्लेव के नाम से विकसित कर लोगो को रिहायश हेतु भूखण्ड आवंटित किये जा चुके है जिसके संदर्भ में जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष उपरोक्त कॉलोनी के सदस्यों की लिस्ट भी दायर कर कृषि भूमियो के कनवर्जन हेतु आवेदन किया हुआ है। वर्तमान में वादीया की विवादग्रस्त स्थल पर कोई कृषि भूमि स्थित नहीं है। समस्त सम्पत्ति का उपयोग आवासीय रुप में उपयोग उपभोग किया जा चुका है जिसके संदर्भ में श्रीमान न्यायालय के समक्ष सदस्यो की आवंटित सूची जो दिनांक 18.11.2012 को जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष पेश की गई है व उक्त आवेदन के उपर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियो पर दिनांक 24.04.2013 को वादीया के पति व आवंटित सदस्यो को लैटर जारी कर भूमि के कनवर्जन हेतु सूचित किया हुआ है। इसी कम में विवादग्रस्त सम्पत्ति पर कॉलोनी बसी हुई है उसको लेकर श्रीमान न्यायालय के द्वारा दिनांक 13.04.2016 को तहसीलदार सांगानेर को लैटर जारी कर सूचित किया जा चुका है कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियो का नामान्तरण वादीया के हक में नही खोला जावें क्योंकि मौके पर प्रतिवादी की समिति के लोग काबिज होकर रिहायश कर रहे है इसी संदर्भ में दिनांक 19.08.2016

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:00:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

को पटवार हल्का सांगानेर में भी अपनी विस्तृत रिपोर्ट श्रीमान तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश की है कि विवादग्रस्त सम्पत्ति पर प्रतिवादी की सोसायटी ने आवासीय योजना विक्रसित कर रखी है व मौके पर लोग रिहायश हेतु मकानात आदि बनाकर रह रहे है ऐसी स्थिति में वादीया के हक में नामान्तरण तस्दीक नही किया जा सकता है। इसी क्रम में जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष भी वादीया ने शिकायत प्रस्तुत की थी जिस पर जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन–14 के प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा मौके की रिपोर्ट के संदर्भ में अपनी कार्यालय टिप्पणी की है कि वादीया की विवादग्रस्त सम्पत्ति पर श्याम एनक्लेव के नाम से आवासीय योजना विकसित की हुई है व मौके पर लोगो के मकानात व बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है जिनके बिजली के बिल के कनेक्शन की रसीदें आदि प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा मौके पर जाकर देखी गई है। वर्तमान में सम्पत्ति का उपयोग रिहायशी तौर पर किया जा रहा है। इस प्रकार वादीया ने उक्त वाद पत्र न्यायालय को गुमराह कर वास्तविक तथ्यो को नजर अंदाज करते हुये श्रीमान के समक्ष दायर किया है जबकि इन्ही तथ्यो के आधार पर श्रीमान सिविल न्यायाधीश कम–33 के समक्ष वर्तमान में उक्त वाद पत्र विचाराधीन है जहॉ पर बादीया अपने अधिकारो को आक्षेपित की हुई है ऐसी स्थिति में उक्त वाद पत्र पर श्रीमान न्यायालय के द्वारा सुनवाई किया जाना न्यायोचित नही होगा। धारा 40 सीपीसी के प्रावधान श्रीमान न्यायालय को प्रतिबन्धित करते है कि जब कोई वाद पूर्व में किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तो ऐसे वाद पर श्रीमान न्यायालय को सुनवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:00:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

का कोई अधिकार नही है यहॉ यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि श्रीमान न्यायालय केवल मात्र काश्तकारी अधिकारो के सम्बन्ध में ही वाद की सुनवाई कर सकता है जबकि उक्त विवादग्रस्त सम्पत्तियो के खातेदारी अधिकार वर्ष 1995 में ही समाप्त हो चुके है ऐसी स्थिति में भी श्रीमान न्यायालय को सिविल प्रकृत्ति के विवादों में सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार हासिल नही है। प्रतिवादी व वादीया के मध्य उपरोक्त वर्णित सम्पत्तियो को लेकर पूर्व में लम्बित वाद को देखते हुये उपरोक्त वर्णित वाद पत्र को ऑर्डर 7 नियम 10 सीपीसी के तहत अविलम्ब वादीया को लौटा दिया जाना कानूनन अनिवार्य है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त वाद में विवादित सम्पत्ति की प्रकृत्ति व पूर्व में विचाराधीन प्रकरण को देखते हुये उपरोक्त वाद पत्र पर धारा 10 सीपीसी के तहत सुनवाई को अविलम्ब रोका जाकर उपरोक्त वाद पत्र को वादीया को आदेश 7 नियम 40 सीपीसी के तहत वर्तमान परिस्थितियो में श्रीमान न्यायालय को वाद पत्र पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही होने से अविलम्ब लौटा दिया जावें।

प्रार्थना पत्र वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थना पत्र की प्रति वकील वादी को दी गयी तो वादी वकील ने प्रार्थना पत्र 7 नियम 10 का जवाब इस प्रकार पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र का मद [illegible] प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वाद पत्र का उनवान [illegible] पेशी का कोई हवाला नही दिया तथा प्रकरण से संबंधित विवाद्यक का भी हवाला नही दिया इसलिये प्रार्थना पत्र में यह वर्णित कर देना कि मुकदमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:00:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

संख्या 361/2016 विचाराधीन है धारा 10 जा0दी0 की परिभाषा में नही आता इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार नही है। तथाकथित फर्जी इकरारनामा दिनांक 05.02.1995 के आधार पर प्रार्थी की कोई सहायत नही मिल सकती चूंकि प्रार्थी ने इकरार नामा की पालना हेतु कमी तैयार तत्पर नही रहा तथा न ही इकरारनामा की पालना हेतु सक्षम न्यायालय में अपने अधिकारों की चुनौति दी। प्रार्थी ने किस संख्या में क्या दस्तावेज प्रस्तुत किये मिन अप्रार्थी को जानकारी नही है। मिन अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है जिनकी कृषि भूमि पर किसी भी व्यक्ति संख्या को कोई खातेदारी अधिकारी उत्पन्न नही होते इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 4 स्वीकार नही है प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह वर्णित नही किया कि दोनो पक्षकार समान है तथा न ही विवाद्यक समान होने बाबत, तथा न ही न्यायालय की समानता बाबत अभिवचन वर्णित किये इसकी प्रार्थी का यह कथन मिथ्या है कि इकरारनामा द्वारा भूमि के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 5 स्वीकार नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 10 की परिधि में नही आता इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 6 कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:00:24 IST
Reason: SelfAttested

विशेष विवरण

मिन अप्रार्थीगण मृतक हरिनाराय[illegible] के प्रथम वर्ग के वारिस व उत्तराधिकारी है मिन अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा

अनुसूचित जाति के सदस्यो की कृषि भूमि पर किसी भी व्यक्ति संख्या फर्म को खातेदारी अधिकारी उत्पन्न नही होते। प्रार्थी के इकरारनामा बिचौती दिनांक 05.02.1995 के आधार पर उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इकरारनामा बिचौती के आधार खातेदारी अधिकारी हस्तान्तरित नही होते इसकी प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा माननीय न्यायालय द्वारा की जाती है.इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। धारा 10 जाब्ता फोजदारी के प्रावधान प्रार्थना पत्र पर लागू नही होते इसकी प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर बहस प्रार्थना पत्र पक्षकारान वकील की प्रार्थना पत्र 7 नियम 10 की सुनी गयी तो वकील प्रार्थी प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये दौराने बहस कथन किया कि उनवानी प्रकरण में वर्णित विवादग्रस्त सम्पत्ति को लेकर दावा सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड क्रम 33 सांगानेर जयपुर महानगर जयपुर में दीवानी वाद संख्या 361/2016 विचाराधीन है, वाद पत्र वादीगण ने उक्त दावे में वर्णित समस्त अभिवचनो एवं सहायता के सन्दर्भ में श्रीमान सिविल न्यायाधीश के समक्ष अपना काउन्टर क्लेम दायर किया हुआ [illegible] विचाराधीन है उन्ही तथ्यों के आधार पर उक्त वाद पत्र श्रीमान [illegible] दायर किया गया है। वादीया ने उक्त वाद पत्र खातेदारी अधिकारों को प्राप्त करने के संदर्भ में पेश किया जबकि वादीया व हरिनारायण बैरवा ने अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:00:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

खातेदारी अधिकारों को प्रतिवादी की समिति बाबा आर0एन0 गौड गृह निर्माण सहकारी समिति के संर्दभ में विक्रय इकरारनामा दिनांक 05.02.1995 का तहरीर तकमील कर अपने समस्त खातेदारी अधिकारों को सौसायटी के हक में त्याग चुका। उक्त कृषि भूमियों पर आवासीय योजना श्याम एन्कलेव के नाम से विकसित कर लोगो को रिहायशी भूखण्ड आवंटित किये जा चुके है। जिस बाबत विकास प्राधिकरण में कॉलोनी के सदस्यों की लिस्ट दायर कर कृषि भूमि कनवर्जन हेतु आवेदन किया हुआ है समस्त समपत्ति का उपयोग आवासीय उपयोग उपभोग में किया जा रहा है इस बाबत तहसीलदार सांगानेर ने दिनांक 13.04.2016 को वादीया के हक में नामान्तकरण नही खोले लिखा हुआ है। वर्तमान में सम्पत्ति का उपयोग रिहायशी तौर पर किया जा रहा है। वादीया ने न्यायालय को गुमराह कर वास्वविक तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये दावा हायर करवाया गया है। जबकि इन्ही तथ्यों के आधार पर सिविल न्यायाधीश क्रम 33 के समक्ष वर्तमान में वाद पत्र विचाराधीन जहां पर वादिया अपने अधिकारों को आक्षेपित की हुयी है। जबकि वाद पूर्व में किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तो ऐसे वाद पत्र न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नही हैं। न्यायालय केवल काश्तकारी अधिकारों के संबंध में ही वादी की सुनवाई कर सकता है जबकि उक्त विवादग्रस्त सम्पत्ति के खातेदारी अधिकार वर्ष 1995 में समाप्त हो चुके है। प्रतिवादी व[illegible] के मध्य उपरोक्त वर्णित सम्पत्तियों को लेकर पूर्व में लम्बित [illegible] को देखते हुये उक्त वाद पूर्व वाद के निर्णय होने तक स्टे फरम[illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:00:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

जवाब बहस में वकील वादी जवाब प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुये प्रार्थी/प्रतिवादी वकील की बहस का खंडन करते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वाद पत्र का उनवान व दर्ज प्रकरण की तारीख पेशी का हवाला नही दिया प्रकरण से संबंधित विवाद्यक का भी हवाला नही दिया मुकदमा नम्बर 361/16 विचाराधीन धारा 10 जाप्ता दीवानी की परिभाषा में नही आता है। तथा कथित फर्जी इकरारनामा दिनांक 05.02.1995 के आधार पर प्रार्थी की कोई सहायता नही की जा सकती है चूंकि प्रार्थी ने इकरार नामा की पालना हेतु कभी तत्पर नही रहा न ही इकरार नामा की पालना सक्षम न्यायालय में अपने अधिकारो की चुनौति दी। प्रार्थी ने क्या दस्तावेज पेश किया जानकारी नही है अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है जिनकी कृषि भूमि पर किसी भी व्यक्ति संस्था को कोई खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही होते जोन 14 के प्रर्वतन अधिकारी ने मौके पर आकर क्या रिपोर्ट की अप्रार्थीगण को जानकारी में नही है न ही उक्त रिपोर्ट सुसंगत है, प्रार्थी के नाम से कोई बिजली का बिल कनेक्शन नही हैं न ही प्रार्थना पत्र में साबित किया कि दोनो पक्षकार समान है न ही विद्यायक समान है इकरार नाम द्वारा भूमि की खातेदारी का मिलना मिथ्या कथन है प्रार्थना पत्र 7 नियम 10 की परीधी में नही आता है। अप्रार्थीगण मृतक हरिनारायण के प्रथम वर्ग के वारिस व उत्तराधिकारी है व प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है अनूसूचित जाति के सदस्यो की भूमि पर किसी भी व्यक्ति व संस्था फर्म को खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही होते है। प्रार्थी इकरारनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:00:24 IST
Reason: SelfAttested

बचौती दिनांक 05.02.1995 के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है इकरारनामा बिचौती के आधार पर खातेदारी अधिकारी हस्तान्तरित नही होते घोषणा मान्य न्यायालय द्वारा ही की जाती है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। पक्षकारान वकील की बहस पर गोर किया व प्रार्थना पत्र 7 नियम 10 जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का परीक्षण किया गया तो उक्त वाद दिनांक 05.11.2018 को घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा के तहत पेश किया गया उक्त वाद से सम्बन्धि उक्त वाद से पूर्व एक दावा वादग्रस्त भूमि के संबंध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड क्रम 33 सांगानेर जयपुर महानगर दीवानी वाद संख्या 361/2016 विचाराधीन चल रहा है उक्त वाद स्थायी निषेधाज्ञा का उनवानी आ0 एन0 गौड ग्रह निर्माण सहकारी समिति जरिये संयोजक रामप्रसाद चौधरी निवासी प्लॉट नमबर 512 बरकत नगर टोंक रोड जयपुर बनाम जितेन्द्र बैरवा वगैरहा के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के पेश किया गया जो वादग्रस्त भूमि किता 20 रकबा 7.25 है0 मे से 14 बीघा भूमि का बेचान वादी को जरिये इकरारनामा दिनांक 05.02.95 कर दने विकय की गयी कृषि भूमि का विकय प्रतिफल इकरारनामे की शर्तो के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पूर्वज स्व0 हरिनारायण ने दिनांक 14.02.2005 तक सम्पूर्ण रूप से प्राप्त कर वादी के हक में एक राशि प्राप्तिका लिख कर दिया। इस प्रकार इकरारनामे के अनुसार उस दिनांक से कब्जा प्राप्त कर कृषि भूमि को समतल कर ले आउट प्लान बनाकर सडके निकालकर भूखण्ड आवंटित करने की प्रकिया जारी कर दी इसी दौरान किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्वज

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:00:24 IST
Reason: SelfAttested

हरिनारायण जी 90 बी कराने में सहयोग नही कर रहे थे, इस कारण आज तक कृषि भूमि की प्रकृति नही बदली व दिनांक 16.03.2016 को हरिनारायण का स्वर्गवास हो गया। वर्तमान भी वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पूर्वज हरिनारायण के नाम दर्ज होने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 नाजायज वादी को परेशान करने लगे व 15.07.2016 को कहा कि जो कृषि भूमि आपको हमने दी उसके एवज में पेसा अदा करो अन्यथा दूसरों को विक्रय कर देंगें। इस कारण प्रतिवादी की प्रकृति को देखते हुये उक्त वाद स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया जिसमें इन्ही तथ्यों के आधार पर सिविल न्यायाधीश क्रम 33 के समक्ष वर्तमान में उक्त वाद पत्र विचाराधीन है जहां पर वादीया द्वारा अपने अधिकारों को अक्षेपित की हुयी है। उक्त सिविल न्यायालय में वादी द्वारा हाजीर होकर अपना काउन्टर क्लेम पेश कर अपने अधिकारी की घोषणा चाही गयी। उक्त वाद व सिविल न्यायालय मे विचाराधीन वाद एक ही वादग्रस्त भुमि होने व समान पक्षकार होने से प्रतिवादी व वादी के मध्य उपरोक्त वर्णित सम्पत्तियों के संबंध में पूर्व में किसी न्यायालय के समक्ष वाद विचाराधीन है तो ऐसे वाद को न्यायालय हाजा में सुनने का अधिकार नही होने। विवादित सम्पत्ति की प्रकृति व पूर्व में विचाराधीन प्रकरण को देखते हुये उपरोक्त वाद पत्र धारा 10 सीपीसी की सुनवाई रोका जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:00:24 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वाद को दफा 10 के तहत सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद तक स्टे किया जाना उचित समझते है अतः उक्त वाद को दफा 10 के तहत

सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद का निर्णय होने तक स्टे किया जाता है। सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद का निर्णय होने पर दोनो पक्ष उक्त वाद को पुनः चलाने हेतु स्वतंन्त्र रहेगें पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

11/9

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:00:24 IST
Reason: SelfAttested